(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
बगताराम पुत्र डूंगराराम, जाति गवारीया, निवासी बूढातला, तहसील शिव, जिला बाडमेर		डूंगराराम पुत्र गोकला जाति गवारीया, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरह (14)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) रा.का.अ. **मुकदमा नम्बर** 158 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.04.2025	प्रार्थी धिवक्ता श्री **बृजमोहन कुमावत के** द्वारा यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम बुढातला पटवार मण्डल चोचरा तहसील शिव के खसरा नम्बर 1224/424 रकबा 2.3634 हैक्टयर व खसरा नम्बर 424 रकबा 0.2428 हैक्टयर बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है, जो कि प्रार्थी के दादा स्व. चुतरा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। प्रार्थी के दादा चुतरा के फौतगी के वक्त उक्त भूमि उनके जायन्दा पुत्र कालुराम, जोगाराम, वादी के पिता डूंगराराम, पहाडाराम, पीराराम व भाखरराम के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि पैतृक भूमि है। हिन्दु उतराधिकार विधि अनुसार खानदानी पैतृक सहदायिकी सम्पतिं में पुत्र, पुत्रीयों, पौत्र व पौत्रीयों का नाम जन्म से अधिकार होता है। उक्त विवादित आराजी में विप्रार्थी संख्या 01 के साथ प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 02 से 07 की संयुक्त खातेदारी पैतृक भूमि में समान हक हिस्सा निहित है। उक्त प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 02 से 07 हिन्दु विधि से शासित है। उक्त विवादित भूमि के खातेदार डूंगराराम अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान करने को आमादा है तथा इससे पूर्व भी विप्रार्थी संख्या 01 ने अपने नाम की भूमि का अन्य को बैचान किया गया है। विवादित आराजी विप्रार्थी संख्या ... विरासत में प्राप्त होने से विप्रार्थी संख्या 1 के ... कानूनन समान अधिकार निहित होने से ... हिस्से की भूमि पर रहवासी घर सहित काबिज काश्त होने से प्र... दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य को बैचान कर प्रार्थी को कब्जे अपने काश्त से बेदखल करने के मकसद में कामयाब हो गये तो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:13:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने विवादित भूमि को विप्रार्थीगण के द्वारा खुर्द बुर्द करने का कथन किया है, विप्रार्थी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण के द्वारा उक्त विवादीत भूमि अन्य किसी को बैचान, या अन्य किसी विधि से हस्तान्तरण या किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने के अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती है। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व वर्तमान रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा उक्त भूमि में से किसी प्रकार का बैचान, हस्तांतरण, दान या किसी अन्य विधि से खुर्द बुर्द नहीं किये जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादर फरमाई जावें।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पैतृक खातेदारी जोत होने से उसमें प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है तथा मौके पर प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी घर सहित काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा उक्त भूमि का हस्तान्तरण बैचान, दान, रहन या किसी विधि से खुर्द बुर्द किया जाता है, तो इससे अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहेगी तथा प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर ग्राम बुढातला पटवार मण्डल चोचरा तहसील शिव के खसरा नम्बर 1224/424 रकबा 2.3634 हैक्टयर व खसरा नम्बर 424 रकबा 0.2428 हैक्टयर बीघा भूमि में प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा विवादित आराजी का बैचान नहीं किये जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तिथि तक विप्रार्थीगण के पक्ष में जारी की जाती है। उक्त स्थगन से आवागमन हेतु चलायमान रास्ता अप्रभावित रहेगा।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के तलबी/जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 22.05.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:13:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
01.05.2025	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र वांस्ते पत्रावली आज ही तारीख पेशी पर लेकर त्वरित सुनवाई हेतु पेश किया जिस पर पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गयी। प्रार्थी का कथन है कि हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 के मध्य राजीनामा हो गया है जिस कारण प्रार्थी विप्रार्थीगण के विरुध जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेघाज्ञा आगे चलाना नही चाहता हैं तथा हस्तगत पत्रावली को विड्रोवल करवाना चाहता हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का निस्तारण हो जाने तथा प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेघाज्ञा आवेदन पत्र का कोई औचित्य नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेघाज्ञा आवेदन पत्र जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:13:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner